

प्रेषक,

श्री एस० आर० लाखा  
सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष  
जिला नगरीय विकास अभिकरण,  
उत्तर प्रदेश।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम अनुभाग,

लखनऊ: दिनांक—२३ नवम्बर, २०००

महोदय,

आप अवगत ही हैं कि वित्तीय वर्ष २०००—२००१ का प्रथम त्रैमास समाप्त हो चुका है। जनपद में जिला नगरीय विकास अभिकरण द्वारा क्रियान्वित की जा रही योजनाओं की माह जून, २००० की मासिक प्रगति की समीक्षा से यह स्पष्ट हुआ है कि जनपद स्तर पर योजनाओं के अन्तर्गत अभिकरण में बहुत अधिक मात्रा में धनराशि अप्रयुक्त पड़ी रहना कदापि संतोषजनक नहीं कहा जा सकता है तथा उससे यह स्वतः स्पष्ट है कि योजनाओं का व्यापक अनुश्रवण नहीं किया जा रहा है। जनपद स्तर पर योजनावार उपलब्ध धनराशि का विवरण सुलभ संदर्भ हेतु संलग्न है।

२. स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष १९९७—९८ में योजना के सफल कार्यान्वयन के उद्देश्य से समस्त जनपदों में शहरी निर्धनों का सर्वेक्षण कराकर सामुदायिक विकास संगठन (सी.डी.एस.) का गठन किया गया था। अधिकांश जनपदों में सी.डी.एस. गठित कर पंजीकरण की कार्यवाही नहीं की गयी जिससे वर्तमान में उक्त सी.डी.एस. निष्क्रीय है। अतः आपसे अपेक्षा है कि सी.डी.एस. का पंजीकरण कराकर सक्रिय करायें ताकि अपेक्षित लक्ष्य की पूर्ति समयान्तर्गत सुनिश्चित हो सके।

३. आपके जनपद में योजनाओं के व्यापक प्रचार—प्रसार मद में भी पर्याप्त धनराशि अप्रयुक्त पड़ी है। जनपद को उक्त धनराशि योजनाओं के सम्बन्ध में शहरी गरीबों को जागरूक करने के उद्देश्य से उपलब्ध करायी गयी हैं। अतः इस मद में उपलब्ध धनराशि का सुनियोजित ढंग से उपयोग किया जाना सुनिश्चित करें।

४. जनपदों में गत वर्षों में योजनान्तर्गत कराये गये कार्यों के उपयोगिता प्रमाण पत्र समय से प्रेषित नहीं किये जा रहे हैं। जिससे राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार से धन प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है। अतः परियोजना निदेशक को निर्देशित कर दें कि तत्काल उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

अतः आपसे अपेक्षित है कि उपरोक्त महत्वपूर्ण प्रकरण पर अनुश्रवण कर शीघ्र आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कर अवगत कराने का कष्ट करें।

भवनिष्ठ

(एस०आर० लाखा)  
सचिव